अति महत्वपूर्ण

संख्या–247 / 1–11–2009–16(जी) / 06

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11

लखनऊ: दिनांक 05 अप्रैल, 2010

विषय: वर्ष 2010 में गर्मी की भीषणता (सूखा) से निपटने के सम्बन्ध में कार्य योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसून अवधि में कम वर्षा होने की स्थिति में सूखे की स्थिति सम्भावित होती है, जिससे जायद एवं खरीफ की फसलों के लिये सिंचाई, मनुष्यों के लिये पेयजल और विभिन्न बीमारियों तथा पशुओं हेतु पेयजल एवं चारे के साथ–साथ विभिन्न बीमारियों का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल जनपद की सूखा प्रबन्ध योजना तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे कि सूखा की स्थिति उत्पन्न होने पर बिना किसी विलम्ब के उसका पूर्ण तैयारी के साथ सामना किया जा सके एवं जन–सामान्य को न्यूनतम असुविधा हो।

2. सूखा प्रबन्ध योजना बनाने में आपके स्वयं के अनुभव, विभागों की दक्षता के साथ–साथ जनप्रतिनिधियों के व्यवहारिक ज्ञान एवं अनुभव का सदुपयोग किया जाना लाभप्रद होगा। अतः तत्काल इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर गठित सूखा परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित कर ली जावे। बैठक में प्रबन्ध योजना के सभी प्रमुख बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा कर उसे अन्तिम रूप दिया जाये। जनपद की अद्यतन सूखा प्रबन्ध योजना की एक प्रति शासन के राजस्व अनुभाग–11 को विलम्बतम दिनांक 15 अप्रैल, 2010 तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

3. यद्यपि प्रत्येक जनपद को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी, तथापि कतिपय सामान्य बिन्दु जो प्रत्येक जनपद के लिए सुसंगत है, को नीचे इंगित किया जा रहा है, इन पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए :–

(1) पेयजल के सभी स्रोतों / संसाधनों की भली प्रकार से मरम्मत एवं पूर्ण उपयोग करना।

Sukha

(ii) पेयजल संकट की स्थिति में टैंकर से पेयजल आपूर्ति किया जाना।

(iii) पेयजल के कुओं को आवश्यकतानुसार गहरा कराया जाना।

(iv) पशुओं के पेयजल संकट के निवारण हेतु सिंचाई विभाग की नहरों एवं नलकूपों के माध्यम से/निजी नलकूपों के माध्यम से तालाब/पोखरे भरवाना।

(v) सिंचाई के सभी संसाधनों के साथ सरकारी नलकूपों को चालू हालत में रखना। विशेष रूप से नहरों को रोस्टर के अनुसार चलना सुनिश्चित करना।

(vi) खराब नलकूपों को समय से मरम्मत सुनिश्चित करना।

(vii) नलकूपों/निजी पम्प सेटों के लिए ऊर्जा व डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(viii) सिंचाई विभाग द्वारा नहरों के अवैध कटान पर कड़ी निगरानी, इस कार्य में जिला एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग महत्वपूर्ण है।

(ix) रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(x) खराब ट्रान्सफार्मर निर्धारित समय के अन्दर बदलना।

(xi) पशुओं के चारे एवं चारागाहों की व्यवस्था करना।

(xii) ग्रीष्मकाल में बरी से साइनाइड विष उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर इससे बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार करना व पशु चिकित्सालयों में उपचार के साधन व व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।

(xiii) मनुष्यों एवं पशुओं को लू, संक्रामक रोगों व महामारियों से बचाने के लिए आवश्यक निषेधात्मक कार्यवाही एवं सघन चिकित्सा व्यवस्था किया जाना।

(xiv) आकस्मिकता हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था किया जाना।

(xv) खेतिहर मजदूरों व अन्य जरूरतमंद लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करना।

(xvi) समाज विरोधी तत्वों एवं उनकी कार्यवाहियों पर नियंत्रण।

(xvii) निराश्रितों, वृद्धों, बच्चों और महिलाओं हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना तथा यह भी सुनिश्चित करना कि कुपोषण की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

(xviii) मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का प्रचार प्रसार करना।

(xix) फसलों में रोग से बचाव हेतु कीट नाशक दवाओं की समुचित व्यवस्था करना।

(xx) वैकल्पिक फसलों के साथ खाद एवं बीज का समुचित प्रबन्ध किया जाना।

(xxi) यह भी सुनिश्चित करना कि रोजगार के अभाव में भुखमरी की स्थिति न उत्पन्न हो।

4 आप अवगत है कि आपदा राहत निधि का उपयोग विभागीय योजनाओं के संवर्धन, विस्तार या अनुरक्षण के लिए नही किया जा सकता है। ये कार्य सम्बन्धित विभागों के बजट से ही किए जा सकते हैं। आपदा आ जाने की स्थिति मे निर्धारित मदों में ही आपदा राहत निधि से धनराशि व्यय करने की अनुमन्यता है। सम्भावित आपदा से बचाव के लिए धनराशि व्यय करना अनुमन्य नहीं है।

5. विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए पेयजल स्रोतों को चालू हालत में रखने हेतु उसकी मरम्मत या रिबोर कराने तथा नए स्रोत स्थापित करने का दायित्व सम्बन्धित (पंचायतीराज, ग्राम्य विकास तथा नगर विकास) विभागों का है। इस हेतु धन की व्यवस्था भी उन्हें ही करना है। केवल पेयजल का संकट उत्पन्न होने की स्थिति में इस पूरी अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति पर होने वाला व्यय आपदा राहत निधि से अनुमन्य है।

ग्रामीण क्षेत्र में आपदा राहत निधि से नये हैण्डपम्पों/ट्यूबवेलों की स्थापना अनुमन्य नहीं है। नगरीय क्षेत्र में यदि यह स्पष्ट हो कि पेयजल का संकट लम्बे समय तक चलेगा, जिसके कारण टैंकर से की जाने वाली जलापूर्ति पर होने वाले व्यय से कम व्यय में नये हैण्डपम्पों की स्थापना या पुराने हैण्डपम्पों की रिबोरिंग कराई जा सकती है, तो यह अनुमन्य होगा। ऐसी विशेष परिस्थिति में स्वीकृत कार्य धन अवमुक्त होने के 15 दिन के अन्दर पूर्ण करा लिये जायें तथा इसका सत्यापन राजस्व अधिकारियों के माध्यम से करा लिया जाये।

6. महामारियों के नियंत्रण में किसी प्रकार का विलम्ब न हो इसके लिए चिकित्सा एवं पशुपालन विभागों द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पहले से वांछित दवाओं का चिह्नांकन, मूल्य निर्धारण, स्टॉक प्राप्ति का सत्यापन, वितरण आदि की दोष रहित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।

मानव एवं पशुओं में किसी प्रकार की महामारी न फैले इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के द्वारा दवा इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। अतः इस मद में महामारी फैलने से पूर्व विभागों को सम्भावना के आधार पर आपदा राहत निधि से धनराशि उपलब्ध कराना अनुमन्य नहीं है। महामारी की रोकथाम पर व्यय विभागीय संसाधनों से ही अनुमन्य है। यदि महामारी फैलने पर उसकी रोकथाम में विभागीय संसाधन पर्याप्त न हों तो जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा पशुओं के मामले में यह प्रस्ताव निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रेषित करेंगे और निदेशालय प्रस्ताव को पूरे प्रदेश के संदर्भ में सहज रूप में तैयार करके अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति के

Sudha

3

विचारार्थ/अनुमोदनार्थ संदर्भित करेंगे। जिलाधिकारी अपने स्तर से इस मद में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं करेंगे।

7. वर्षा के अभाव में आजीविका के लिए मजदूरी पर आश्रित खेतिहर मजदूरों को समस्या [illegible] हेतु सर्वप्रथम मनरेगा, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब इन मदों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग हो जाये तथा सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से कोई अतिरिक्त किश्त प्राप्त होना सम्भव न हो तब जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव आयुक्त, ग्राम्य विकास को प्रेषित करेंगे और वे इस प्रस्ताव को पूरे प्रदेश के सन्दर्भ में संकलित रूप में तैयार करके अपने प्रशासकीय विभाग (ग्राम्य विकास विभाग) के माध्यम से प्रमुख सचिव एवं [illegible] आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ संदर्भित करेंगे।

8. ग्रीष्म ऋतु में सूखे पदार्थों की अधिकता के कारण आग लगने की सम्भावनाओं में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे जीवन, आवास, पशु और फसल की हानि होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अग्निकाण्ड न्यूनीकरण हेतु आम लोगों को जागरूक बनाया जाये एवं आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन सेवाओं का तत्काल उपयोग हो सके इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए। अग्निकाण्ड (दैवीय आपदा) प्रभावित व्यक्तियों को शासनादेश संख्या–867/1–11–2004–रा0–11–4(जी)/2003, दिनांक 15.4.2004 के अन्तर्गत समय से राहत सहायता उपलब्ध करायी जाये।

9. समय से पर्याप्त वर्षा न होने अर्थात सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में इसका जायद एवं खरीफ की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव की पूर्ण सतर्कता के साथ सतत समीक्षा की जाये। इस [illegible] में कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का विशेषज्ञ परामर्श एवं सहयोग भी प्राप्त किया जाए। जनपद में अवर्षण के कारण खरीफ की फसलों की क्षति के सम्बन्ध में दिनांक 30 जून, 10 जुलाई, 25 जुलाई एवं 31 जुलाई को निर्धारित प्रारूप पर फसलवार विवरण उपलब्ध कराया जाये।

10. पेयजल विद्युत आपूर्ति, महामारी आदि के सम्बन्ध में दिनांक 25 मई, 2010 से 31 अगस्त, 2010 तक संलग्न प्रारूप पर सूचना प्रत्येक सोमवार को वेबसाइट जिसका पता http://up.gov.up.nic.in/rahat है, पर उपलब्ध कराई जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव।

संख्या– 242 (1) / 1–11–2010–18(जी) / 06, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित सूख की प्रबन्ध योजना तैयार कराकर क्रियान्वयन करने हेतु सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश जारी करके उसकी प्रति राजस्व अनुभाग–11 को (सम्बन्धित विभाग के समन्वय अधिकारी के नाम/पदनाम टेलीफोन नम्बर सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

ह०

(एस० एन० शुक्ला)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या–242(2) / 1–11–2010–18(जी) / 06, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

12. आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी, लखनऊ।
13. राज्य परियोजना अधिकारी, बापू भवन, छठा तल, लखनऊ।
14. राजस्व अनुभाग–10, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 एन0 शुक्ला)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या– 242 (3)/1–11–2019–18(जी)/08,तदिनांक

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय की सूचनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(एस0 एन0 शुक्ला)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

शासनादेश संख्या–242/1–11–2010–18(जी)/06, तद्दिनांक 06 अप्रैल, 2010 का संलानक।

जनपद का नाम –

1. रिपोर्ट का दिनांक
2. मौसम की स्थिति

क्र0सं0	तिथि	तापमान		वर्षा (मि0मी0में)
		अधिकतम	न्यूनतम	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सोमवार			
2.	मंगलवार			
3.	बुधवार			
4.	गुरुवार			
5.	शुक्रवार			
6.	शनिवार			
7.	रविवार			

8. बिजली आपूर्ति (घन्टे में)
 (क) मण्डल मुख्यालय–
 (ख) जिला मुख्यालय–
 (ग) ग्रामीण क्षेत्र
4. डीजल की उपलब्धता की स्थिति –
5. नहरों की स्थिति –
 कुल टेलों की संख्या–
 जिन टेलों पर पानी नहीं पहुँचा उनकी संख्या–
6. हैण्ड पम्पों / सरकारी नलकूपों की स्थिति –

क्र0सं0	मद	जनपद में कुल संख्या	खराब की संख्या	15 दिन से अधिक खराब की संख्या
		(1)	(2)	(3)
1.	हैण्ड पम्प			
2.	सरकारी नलकूप (पेयजल)			
3.	सरकारी नलकूप (सिंचाई)			

क्र0सं0	विवरण	पेयजल समस्या से ग्रस्त	सब्जी प्रभावित	वस्तु योग प्रभावित	चारे की कमी
1.	ग्रामों की संख्या				
2.	नगरों की संख्या				
3.	नगर पालिकाओं की संख्या				
4.	नगर निगमों की संख्या				

नोट –

1. प्रत्येक बिन्दु की सूचना अवश्य अंकित की जाए।
2. यदि वांछित सूचना पूर्व में भेजी गयी सूचना की पुनरावृत्ति हो तो की इसे अंकित किया जाए।
3. यदि सूचना शून्य हो तो स्पष्टतया "शून्य" अंकित किया जाए।
4. यदि सूचना उपलब्ध न हो तो 'उ0 नं0' अंकित किया जाए।